

**BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPLE BENCH, (DELHI)**

O.A NO. 885/2022

IN THE MATTER OF:

**IN RE: CHHATTISGARH: SEVEN DEAD AS PART OF LIMESTONE MINE
COLLAPSE IN BASTER VILLAGE, RESCUE OPERATION**

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	LETTER DATED 06.12.2022	1
2.	LETTER DATED 09.12.2022 FROM COLLECTOR TO CECB ALONG WITH TRANSLATED COPY	2-4

FILED BY



**ABHINAY SHARMA
ADVOCATES FOR THE RESPONDENT NO. 2
H-29, FIRST FLOOR,
JANGPURA EXTENSION,
NEW DELHI-11 0014**

**DRAWN ON: 19.12.2022
FILED ON: 19.12.2022
PLACE: NEW DELHI**



क्षेत्रीय कार्यालय

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल

एच.आई.जी. 5 एवं 6, अघनपुर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी,

चित्रकोट रोड, जगदलपुर (छ.ग.)-494001

दूरभाष नंबर-07782-229367, ई-मेल hocecbrojagdalpur@gmail.com

क्रमांक / 1176 / क्षे.कार्या. / तक. / छ.प.सं.मं. / 2022 जगदलपुर, दिनांक 06/12/2022
प्रति,

खनि अधिकारी,
कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)
जगदलपुर जिला-बस्तर (छ.ग.)

विषय:- माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण क्रमांक 885/2022 "Chhattisgarh Seven Dead as part of Limestone mine collapse in Baster Village ; Rescue operation" के संबंध में।

संदर्भ:- मुख्यालय का पत्र क्रमांक 6198, नया रायपुर दिनांक 05.12.2022

उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण क्रमांक 885/2022 "Chhattisgarh Seven Dead as part of Limestone mine collapse in Baster Village ; Rescue operation" में छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रभारी नियुक्त किया गया है। उक्त प्रकरण जगदलपुर शहर के निकट स्थित ग्राम-मालगाँव में घटित दुर्घटना से संबंधित है तथा परिवाद पत्र में उक्त स्थल, चूना पत्थर खदान होने का उल्लेख है (नोटिस के प्रति संलग्न है)। अतः माननीय न्यायलय में मंडल का जवाबीदावा प्रस्तुत किये जाने हेतु निम्नानुसार जानकारी वांछित है :-

1. क्या दुर्घटना स्थल पर चूना पत्थर खदान अथवा अन्य खनिज आधारित खदान स्वीकृत है?
2. यदि हाँ तो, क्या उक्त खदान हेतु लीज अथवा एल.ओ.आई जारी किया गया था?
3. यदि हाँ तो, लीज धारक का नाम, पता, मोबाईल नम्बर आदि उपलब्ध करायें
4. क्या उक्त खदान हेतु माईनिंग प्लान स्वीकृत है तथा क्या अन्य विभागों से अनुमति प्राप्त की गई है।

कृपया उपरोक्तानुसार जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
संलग्न-उपरोक्तानुसार।



012


क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
* जगदलपुर (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला बस्तर (छ0ग0)

फोन एवं फेक्स नं0 07782-221981, ई-मेल - miningbastar@gmail.com

क्रमांक/ 2287/खनिज/ख.लि.3/विविध/2022
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 09.12.2022

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग पर्यावरण संरक्षण मंडल
जगदलपुर जिला बस्तर।

विषय:- माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण कमांक 885/2022 "Chhattisgarh seven Dead as part of Limestone mine collapse in Bastar Village ; Rescue operation" के संबंध में।
संदर्भ:- आपका पत्र कमांक 1176/क्षे. कार्या./तक/छ.प.सं.म./2022 जगदलपुर दिनांक 06.12.2022

000

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण कमांक 885/2022 "Chhattisgarh seven Dead as part of Limestone mine collapse in Bastar Village ; Rescue operation" हेतु आपके द्वारा बस्तर जिले के ग्राम मालगांव (दुर्घटना स्थल) में चूनापत्थर के खदान स्वीकृति के संबंध में जानकारी चाही गयी है। महोदय कृपया अवगत हो कि उक्त दुर्घटना स्थल ग्राम मालगांव तहसील बकावण्ड जिला बस्तर में खनिज विभाग द्वारा कोई खनि रियायत स्वीकृत नहीं किया गया है।

तदनुसार वांछित जानकारी अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

[Signature]
उप संचालक (खनि प्रशा.)
जिला बस्तर



AE/CHEMIST
AG II/III

09/12/2022

Office of Collector (Mineral Branch) Jagdalpur, District Bastar (Chhattisgarh)
Phone & Fax No. 07782-221981, E-mail miningbastar@gmail.com

No./2287/ Mineral/K.L.3/Miscellaneous/2022

Jagdalpur, Dated: 09.12.2022

To

The Regional Officer
Chhattisgarh Environment Conservation Board
Jagdalpur, District-Bastar.

Subject:- In connection with the pending Case No. 885/2022 "Chhattisgarh Seven Dead as part of Limestone mine collapse in Bastar Village; Rescue operation" with the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi.

Reference: Your letter No. 1176/Re.Off./Tak/Ch.P.S.M/2022, Jagdalpur, dated 06.12.2022

000

The subject matter referred to above is that for the pending Case No. 885/2022 "Chhattisgarh seven Dead as part of Limestone mine collapse in Bastar Village; Rescue Operation" with the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi, information has been sought by you regarding the acceptance of limestone quarry in Village-Malgaon (accident site) of Bastar district. Sir, it should be informed that no mineral concession has been approved by the Mineral

Department in the said accident site at Village-Malgaon, Tehsil-Bakavand,
District-Bastar.

Accordingly, the desired information was forwarded for further action.

Sd/-
Deputy Director (Mineral Administration)
District Bastar